II/निग०/सतना/2018/0433

(320)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर खण्डपीठ रीवा म0प्र0

20रु. कोर्ट फ़ीस COURT FEE Rs.20 भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES — विलोपित/विलोपित
5रु. Rs.5 पाँच रुपये FIVE RUPEES — विलोपित/विलोपित
5रु. Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

1— गैवीनाथ जोगी तनय गोपालदास जोगी उम्र 65 वर्ष, पेशा पेंशनर, निवासी ग्राम अहिरगॉव, तहसील अमरपाटन, जिला सतना म0प्र0

2— नरेन्द्र सिंह तनय श्री बहोरन सिंह उम्र 52 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम अहिरगॉव, तहसील अमरपाटन, जिला सतना म0प्र0

——————निगरानीकर्ता

बनाम

1— लक्ष्मीकान्त सिंह उर्फ लक्ष्मी सिंह तनय श्री भोंदू सिंह उम्र 52 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम अहिरगॉव, तहसील अमरपाटन, जिला सतना म0प्र0

2— म0प्र0 राज्य

———अनावेदक/गैरनिगरानीकर्तागण

अधि0 श्री हरिकृष्ण मिश्रा द्वारा पेश। 28-3-18

कलेक्टर आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 12.06.2017 जो प्रकरण क्र0—56/अ—12/2016—17 में राजस्व निरीक्षक वृत्त मौहारी कटरा, तहसील अमरपाटन, जिला सतना म0प्र0 द्वारा पारित किया गया।

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता

मान्यवर्,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :—

1— यहकि राजस्व निरीक्षक वृत्त मौहारी कटरा, तहसील अमरपाटन, जिला सतना म0प्र0 द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 12.06.2017 पूरी तरह गलत, अवैधानिक होने के साथ—साथ सीमांकन नियमों के विपरीत होने से रद्द किये जाने योग्य है।

2— यहकि उक्त सीमांकन के पूर्व राजस्व निरीक्षक द्वारा न तो सरहद्दी काश्तकारों को व न निगरानीकर्तागण को कोई सूचना दी गई और न ही उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिया गया जो दिया जाना आवश्यक था, और ऐसा किये बगैर गलत एवं अवैधानिक तरीके से निगरानीकर्तागण की बिना जानकारी के उनकी अनुपस्थिति में उनके

नरेन्द्रसिंह गैवीनाथ

(320)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/सतना/भू–रा0/2018/2133 जिला–सतना

गैबीनाथ/लक्ष्मीकांत

(1)	(2)	(3)
18.12.19	1. आवेदक की ओर से श्री हरिकृष्ण मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त मौहारी कटरा, तहसील अमरपाटन, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 56/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.02.19 को कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

आवश्यक था, और ऐसा किये बगैर गलत एव अवैधानिक तरीक स
निगरानीकर्तागण की बिना जानकारी के उनकी अनुपस्थिति में उनके